

HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Criminal Misc. Suspension Of Sentence Application (Appeal)
No. 445/2026

in

S.B. Criminal Appeal No. 518/2026

Kedar @ Thekedar Son Of Feran Singh, Resident Of Bholapura,
Police Station Badi, District Dholpur. (At Present Confined In
District Jail Dholpur)

----Petitioner

Versus

State Of Rajasthan, Through P.p.

----Respondent

For Petitioner(s)	: Mr. Brij Mohan Sharma, Adv.
For Respondent(s)	: Mr. Devi Singh, PP

HON'BLE MR. JUSTICE UMA SHANKER VYAS

Judgment / Order

07/05/2026

प्रार्थी-अभियुक्त की ओर से धारा **430 बीएनएसएस** के अंतर्गत प्रस्तुत सजा स्थगन/जमानत आवेदन पर दोनों पक्षों को सुना गया। अधीनस्थ विचारण न्यायालय के आलोच्य निर्णय एवं पत्रावली पर उपलब्ध कानूनी व तथ्यात्मक स्थिति पर विचार किया गया।

प्रार्थी-अभियुक्त को विद्वान विचारण न्यायालय **विशेष न्यायाधीश, डकैती प्रभावित क्षेत्र धौलपुर** द्वारा विशेष सेशन प्रकरण संख्या **33/2017** में पारित आक्षेपित निर्णय दिनांक 19.02.2026 के माध्यम से धारा 332, 353, 307 भा.दं.सं. तथा 09 आरडीए एक्ट में दोषसिद्ध घोषित करते हुए अधिकतम दस वर्ष के कठोर कारावास व अर्थदण्ड की सजा से दंडित किया है।

विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी-अभियुक्त का निवेदन है कि प्रार्थी-अभियुक्त निर्दोष हैं तथा उसे प्रकरण में मिथ्या रूप से लिप्त किया गया है, दोषसिद्धी हेतु पत्रावली पर कोई विश्वसनीय तथा विधितः स्वीकार्य सुदृढ साक्ष्य नहीं रही

है। यह भी निवेदन किया कि अभियुक्त के विरुद्ध पूर्व में दर्ज सभी आपराधिक प्रकरणों में दोषमुक्त हो चुका है, वर्तमान अधिरोपित 10 वर्ष की सजा के मुकाबले करीब चार वर्ष की सजा भुगत चुका है, किसी भी व्यक्ति के कोई चोट कारित नहीं हुई है, अपील के निस्तारण में समय लगेगा, अपील में अभियुक्त के दोषमुक्त होने की पूर्ण संभावना है, अन्त में सजा स्थगित किये जाने का निवेदन किया।

उपरोक्त तर्कों का विरोध करते हुए योग्य लोक अभियोजक ने अपराध की गंभीरता तथा पत्रावली पर उपलब्ध सामग्री, सुदृढ साक्ष्य आदि को देखते हुए सजा स्थगन आवेदन खारिज किये जाने का निवेदन किया।

दोनों पक्षों के तर्कों के संदर्भ में अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री का अवलोकन किया।

लोकसेवक पुलिसकर्मियों द्वारा अपने कर्तव्य के निर्वहन के दौरान उनके राजकार्य में बाधा पहुंचाने एवं उनकी हत्या करने के आशय से फायर आर्म्स से फायर किये जाने का आरोप वर्तमान मामले में है, किसी भी व्यक्ति के कोई चोट कारित नहीं हुई है। यद्यपि अभियुक्त का आपराधिक रिकॉर्ड रहा है, परन्तु अधिकांश मामलों में वह दोषमुक्त हो चुका है। अभियुक्त की आयु करीब 67 वर्ष है तथा जो पूर्ववर्ती आपराधिक प्रकरण संस्थित हुए हैं, वे काफी समय पूर्व के हैं और अभियुक्त वर्तमान समय में आपराधिक गतिविधियों में लिप्त रहा हो, ऐसी स्थिति प्रकट नहीं हुई है।

अतः प्रकरण के तथ्यों व परिस्थितियों, विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी-अपीलार्थी द्वारा सजा स्थगन प्रार्थना पत्र के समर्थन में न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किये गये तर्कों, प्रस्तुत अपील में उठाये गये कानूनी मुद्दों, अभियुक्त की भुगती हुई सजा की अवधि आदि को ध्यान में रखते हुए, गुणावगुण पर कोई टिप्पणी किये बिना, यह सजा स्थगन प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

परिणामतः यह सजा स्थगन प्रार्थना पत्र प्रार्थी-अभियुक्त **केदार उर्फ ठेकेदार पुत्र फेरन सिंह** की ओर से **विचारण न्यायालय** द्वारा अधिरोपित **सम्पूर्ण अर्थदण्ड की राशि विचारण न्यायालय में जमा कराये जाने की पूर्ववर्ती शर्त** पर स्वीकार किया जाता है और आदेश दिया जाता है कि यदि इस न्यायालय में **दिनांक 08.06.2026** को एवं तत्पश्चात जब भी उसे आदेशित किया जावे,

अपनी उपस्थिति हेतु **एक लाख रुपये** का बंधपत्र एवं **पचास—पचास हजार रुपये** की दो जमानतें विद्वान विचारण न्यायालय के संतोषप्रद प्रस्तुत कर तस्दीक करवा दें तो उसे जमानत पर रिहा कर दिया जावे एवं विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा प्रार्थी—अभियुक्त के संबंध में पारित आक्षेपित निर्णय **दिनांकित 19.02.2026** के तहत कारावास के संबंध में दिये गये **दण्डादेश** का क्रियान्वयन इस अपील के अन्तिम निर्णय होने तक स्थगित रखा जावे।

(UMA SHANKER VYAS),J